निरीक्षण आख्या

दिनांक 29.01.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा वार्ड सं 31 के पार्षद श्री रूपसिंह पटेल के साथ वार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री डी0के0 सिंह सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अभियन्त सिविल, परियोजना प्रबंधक सीवरेज एवं ड्रेनेज उ0प्र0 जल निगम मथुरा, क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक अभियन्ता (वि/यां), सहायक अभियन्ता जल, श्री के0के0 सिंह स्वच्छता निरीक्षक, श्री राजकुमार लवानियां स्वच्छता निरीक्षक आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

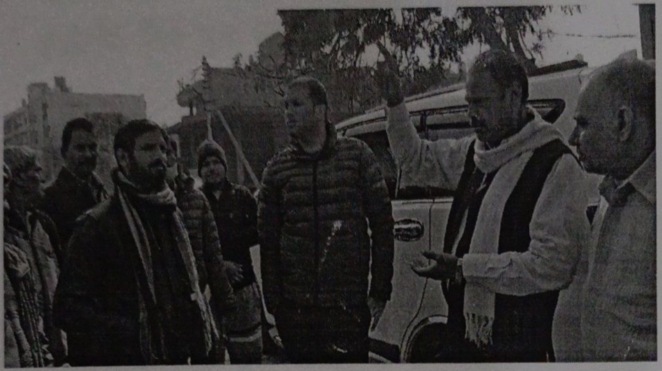

1– गोविन्द एफ सेक्टर में 80 फुटा रोड का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त मार्ग पर स्थानीय निवासियों द्वारा अस्थायी एवं स्थायी अतिकमण सडक पर कर रखा है, जिसमें अस्थायी अतिकमण को तत्काल हटाये जाने एवं जिन लोगों द्वारा स्थायी अतिकमण किया हुआ है, उनको स्वयं अतिकमण को हटाये जाने हेतु सम्बन्धित व्यक्तिओं का 07 दिवस का समय देते हुये नोटिस जारी किये जाये यदि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा स्वयं अतिकमण नही हटावाया जाता है तो श्री डी0के0 सिंह सहायक नगर आयुक्त, श्री विश्वनाथ बनर्जी अवर अभियन्ता सिविल, श्रीके0के0 स्वच्छता निरीक्षक, श्री राजकुमार लवानियां स्वच्छता निरीक्षक, नगर निगम के राजस्व निरीक्षक एवं प्रवर्तन दल की टीम अतिकमण को हटाना सुनिश्चित करेगें।

(कार्यवाही– श्री डी0के0 सिंह सहायक नगर आयुक्त, श्री विश्वनाथ बनर्जी अवर अभियन्ता सिविल, श्रीके0के0 स्वच्छता निरीक्षक, श्री राजकुमार लवानियां स्वच्छता निरीक्षक, नगर निगम के राजस्व निरीक्षक)

2– निरीक्षण के दौरान मार्ग में जगह–जगह सी0 एण्ड डी0 वेस्ट पाया गया, जिसको हटाने हेतु श्री राजकुमार लवानिया स्वच्छता निरीक्षक श्री विश्वनाथ बनर्जी अवर अभियन्ता सिविल को निर्देशित किया गया कि 07 दिन तक लगातार अभियान चलाकर सी0एण्डडी0 वेस्ट उठवाया जाना सुनिश्चित करें। मौके पर उपस्थित स्थानीय निवासी श्री हेमन्त मो0 9412801659 द्वारा स्थल पर उपस्थित डलाव घर को हटाये जाने की मांग की गयी जिसके लिये श्री राजकुमार लवानिया स्वच्छता निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि 10 दिन में डलाव घर समाप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। सी0एण्ड डी0 वेस्ट को उठाने तथा डलाव घर को समाप्त करने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय पार्षद तथा स्थानीय निवासी श्री हेमन्त से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उक्त कार्यवाही कर दी गयी है। प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही श्री विश्वनाथ बनर्जी अवर अभियन्ता सिविल एवं श्री राजकुमार लवानिया स्वच्छता निरीक्षक का माह फरवरी 2021 का वेतन आहरित किया जायेगा।

(कार्यवाही– श्री राजकुमार लवानिया स्वच्छता निरीक्षक श्री विश्वनाथ बनर्जी अवर अभियन्ता सिविल)

3– गोविन्द नगर ए सेक्टर में श्रीकृष्णा पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के लिये पूर्व में अधिशासी अभियन्ता सिविल को निर्देशित किया गया था कि प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें, परन्तु उनके द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके उपरान्त अधिशासी अभियन्ता सिविल को 07 दिवस के अन्दर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के लिये पुनः निर्देशित किया गया।

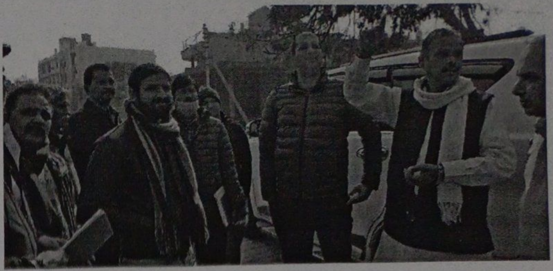

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता सिविल)

4– इसके उपरान्त वार्ड सं0 40 सरस्वती कुण्ड परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्थानीय निववासियों द्वारा परिक्रमा मार्ग पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसकी अभिलेखीय जांच किये जाने तथा कब्जा हटाये जाने हेतु श्री डी0के0 सिंह सहायक नगर आयुक्त 07 दिन के अन्दर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–श्री डी0के0 सिंह, सहायक नगर आयुक्त)

5– निरीक्षण के दौरान अग्रसेन चौराहे से (मसानी रोड़) एनएच पर जाने वाले मार्ग/सडक पर दुकानदारों द्वारा कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल काफी मात्रा में डाल रखा था। जिसको 03 दिवस के अन्दर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलकार हटाये जाने तथा जुर्माने की कार्यवाही किये जाने हेतु श्री डी0के0 सिंह सहायक नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–श्री डी0के0 सिंह, सहायक नगर आयुक्त)

नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

कार्यालय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

पत्रांकः 773/एस०टी०/2020-21 दिनांकः 02/02/2021

प्रतिलिपि–

1–श्री रूपसिंह पटैल, पार्षद वार्ड सं0 31, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन को सूचनार्थ।
2–उपरोक्तानुसार समस्त को अनुपालनार्थ।

नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।